सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 19.08.2025

जनपद आजमगढ़

01. हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डे के साथ गिरफ्तार पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.08.25 को वादी सत्यनारायण सिंह पुत्र स्व रामराज सिंह ग्रा0 उसरगावाँ थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे बडे भाई राजबहादुर सिंह उर्फ मंगला सिंह जो मेरे मूल घर से 500 मी0 की दूरी पर बने हुए पाही पर रहते हैं। प्रतिदिन की तरह दिनांक 09.08.2025 की रात्रि में मेरे भाई घर से खाना खाकर पाही पर सोने के लिए चले गये और पाही पर बने बरामदे मे लगी चारपाई पर सोये थे कि वहीं मेरे बगल के निवासी रफीक शेख जो हमारे यहां खेती का काम देखते है द्वारा हम लोगों को आकर बताये कि आज जब वह पाही के पास गये तो देखा कि मेरे भाई जो रोज सुबह जल्दी जग जाते थे आज नही जगे है जब रफीक शेख उन्हे जगाने गये तो देखा कि उनकी धारदार हथियार से मारकर किसी ने हत्या कर दिया है इस सूचना पर मै, कुछ लोगों के साथ तुरन्त पाही पर पहुचा तो पाया कि मेरे भाई की विस्तर पर सोते समय किसी ने मारकर हत्या कर दिया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/25 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 18.08.2025 को थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. आसिफ शेख पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ उम्र-19 वर्ष 2. मेहताब आलम पुत्र मुनौवर अली निवासी ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ उम्र-20 को मुखबिर की सूचना पर जिवली मोड़ से समय करीब 06.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद डंडा बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. आसिफ शेख पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ उम्र-19 वर्ष
2. मेहताब आलम पुत्र मुनौवर अली निवासी ग्राम उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ उम्र-20

बरामदगी का विवरणः-

01. अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद डंडा बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ शेख द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं जब भी राजबहादुर सिंह के पाही की तरफ से गुजरता था तो राजबहादुर अक्सर मुझे गाली देते थे तथा मेरी बाउण्ड्रीवाल बनने में भी अवरोध उत्पन्न किये थे। जिससे परेशान होकर मैं अपने साथी मेहताब आलम के साथ मिलकर योजना बनाते हुए दिनांक 9/10.08.2025 की रात लगभग 01.00 बजे जब वह सो रहे थे कि हम दोनों द्वारा एक-एक डण्डा लेकर मारकर उनकी हत्या कर दिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना-बरदह स्वाट/सर्विलांस टीम

01. थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह

02. उ0नि0 मनीष सिंह
03. का0 आशुतोष कुमार
04. का0 छोटेलाल
05. का0 विद्याकान्त

01. स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार सिंह मय हमराह
02. सर्विलांस सेल प्रभारी अतुल मिश्र
03. क0आ0 चन्द्रमा मिश्र

<u>02. थाना तरवाः दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>पूर्व का विवरण-</u>

दिनांक 17.08.2025 को वादिनी मुकदमा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ शनिवार शाम को जन्माष्टमी के दिन मंदिर से लगभग 1.00 बजे रात को अपने घर आकर कपड़ा बदल रही थी तभी अचानक उसी विपक्षी विशाल राजभर पुत्र मुराहु राजभर आवेदिका के घर में घुस कर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया, दिनांक-17.08.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2025 धारा –64, 333 बीएनएस बनाम विशाल राजभर पुत्र मुराहू राजभर निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार द्वारा सम्पादित किया जा रहा है अभियुक्त विशाल राजभर उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश जी रही थी।

<u>गिरफ्तारी का विवरण-</u>

आज दिनांक-18.08.2025 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष को समय करीब -09.50 बजे तरवां डाकघर के सामने से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1-मु0अ0सं0 215/2025 धारा –64, 333 बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1- विशाल राजभर पुत्र मुराहु राजभर निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम</u>

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. का0 सौरभ कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. का0 अजय यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
4. म0का0 सिमरन साहनी थाना तरवां जनपद आजमगढ़

<u>03. थाना बरदहः गैंगेस्टर एक्ट मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

➡ दिनांक- 28.02.2023 को वादी मुकदमा श्री संजय सिंह प्रभारी निरीक्षक बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम जिवली, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 85/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक-18.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम जिवली, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद –मऊ

01. चोरी की दो अदद पानी की मोटर, दो अदद स्लाइड रिंच के साथ 04 शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.08.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर-वाराणसी हाइवे पर भदसामानोपुर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 252/2025 धारा 303(2) व मु0अ0सं0 251/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्तगण सोनू राजभर पुत्र प्रेम राजभर निवासी जोगीवीर बलुआ थाना कोपागंज, मनीष राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी जोगीवीर बलुआ थाना कोपागंज, अमित राजभर पुत्र अंभु राजभर निवासी जोगीवीर बलुआ थाना कोपागंज, सोनू राजभर पुत्र जलंधर राजभर निवासी टडियावं थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 02 अदद पानी की मोटर, दो अदद स्लाइड रिंच एवं घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया। बरामद मोटरसाइकिल वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

उल्लेखनीय है किं दिनांक 16.08.2025 को टडियाव कल्यानपुर थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत टडियाव पावर हाउस के पास मोटर को उक्त अभियुक्तों द्वारा चोरी किया गया था एवं दिनांक 15..08.2025 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत लाडपुर पोस्ट इटौराडोरीपुर से वादी के घर के अन्दर रखे दो हार्स पावर का मोटर उक्त अभियुक्तों द्वारा चोरी किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. सोनू राजभर पुत्र प्रेम राजभर निवासी जोगीवीर बलुआ थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. मनीष राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी जोगीवीर बलुआ थाना कोपागंज जनपद मऊ
3. अमित राजभर पुत्र अंभु राजभर निवासी जोगीवीर बलुआ थाना कोपागंज जनपद मऊ
4. सोनू राजभर पुत्र जलंधर राजभर निवासी टडियावं थाना कोपागंज जनपद मऊ

बरामदगी–

1. चोरी की 02 अदद पानी की मोटर
2. चोरी की दो अदद स्लाइड रिंच
3. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 मनीष कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. उ0नि0 रामअवधेश गुप्ता थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. उ0नि0 संतोष कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. हे0का0 नौसाद अहमद थाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. का0 सुधीर कुमार यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
6. का0 आशीष सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
7. का0 शिवबच्चन यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
8. का0चा0 प्रच्च्वल ओझा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

02. साइबर क्राइम थाना जनपद मऊ टीम द्वारा पीड़ित का गुम हुआ 03 अदद मोबाइल फोन CEIR PORTAL के माध्यम से वापस कराया गया जिसकी कीमत 47099/- रु

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय/ प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में साइबर थाना टीम द्वारा गुम हुये 03 अदद मोबइल फोन को पीड़ित को वापस कराया गया जिसमे वादी-

1- श्री विकास यादव पुत्र. श्री अशोक यादव निवासी भीखमपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

2- अमित कुमार मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य निवासी मझवारा थाना घोसी जनपद मऊ ।

3- आनन्द कुमार यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी मुस्तफाबाद थाना रसडा जनपद बलिया । का गुम हुआ मोबाइल फोन CEIR PORTAL के माध्यम से बरामद कराया गया ।

जागरुकता- सोशल मीडिया पर वीडियो काल के माध्यम से डिजिटल आरेस्ट / हाजस आरेस्ट के नाम पर न डरे व मैसेजिंग ऐप्लीकेशन के जरिए फर्जी ऐप्स इनस्टॉल करने से बचे । सस्ते दामो मे मिल रहे फोन/लैपटाप/अन्य उपकरणो के डिलेवरी के बाद उसे चला कर कन्फर्म होने के बाद ही उसका पेमेन्ट करे । थोड़े निवेश से बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने का लालच देने वाले ऐप्स पर कदापि ट्रेडिंग न करें । यदि आप किसी ठगी के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाना/सेल में तत्काल करें या https://www.cybercrime.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क कर भी शिकायत कर सकते है ।

आरक्षी प्रदीप पटेल व

समस्त साइबर थाना टीम

03. साइबर टीम द्वारा पीडित के खाते मे 10,902 रूपये धनाराशि वापस कराने के सम्बन्ध में

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ महोदय श्री इलामारन जी के निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्वेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री पंकज पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा क शिकायतकर्ता विश्वजीत यादव पुत्र वंशराज यादव निवासी इंदरपुर भलया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के खाते से गूगल पे के माध्यम से किसी अन्जान व्यक्ति के खाते मे कुल धनराशि 10,902 रूपये भेज दी गयी थी । जिसके सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा साइबर कम्पलेन की शिकायत थाने पर की गयी थी जिसके तहत थाना सरायलखंसी मे नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए पीडित/आवेदक विश्वजीत यादव पुत्र वंशराज यादव निवासी इंदरपुर भलया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को दिनांक 18.08.2025 को 10,902 रूपये वापस कराया गया

साइबर टीम-

1. प्र0नि0 पंकज पाण्डेय
2. नोडल उ0नि0 नयन वर्णवाल
3. म0उ0नि0 अंशी शुक्ला
4. क0 आ0 आशीष द्विवेदी
5. म0का0 शिखा तिवारी

04. मऊ पुलिस ने अवैध धर्मान्तरण कराने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, धार्मिक सामग्री बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पंजीकृत विभिन्न अभियोगों के वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष अभियान संचालित

किया जा रहा है। इसी क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर मऊ के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 273/2025 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से संबंधित दो वांछित अभियुक्तगण को दिनांक 18.08.2025 को 10.05 बजे बड़ी रहजनिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण घटनाक्रम –

दिनांक 17.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़ी रहजनियाँ में 60–70 महिला, पुरुष व बच्चों को एकत्र कर कुछ लोग बहला-फुसलाकर, धन का लालच देकर तथा झूठे प्रलोभन देकर अवैध धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त सूचना पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ पर पंजीकृत करते हुए प्राप्त सूचना पर पुलिस बल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए धर्म परिवर्तन कराने में शामिल दो नामजद अभियुक्त गण (1) श्याम कुमार राजभर पुत्र स्व. केदार राजभर निवासी नियामुपुर चकजीवन थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (उम्र लगभग 38 वर्ष) तथा (2) रवि शंकर पुत्र स्व. किशोरीलाल निवासी सलाहाबाद थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (उम्र लगभग 30 वर्ष) को दिनांक 18.08.2025 को 10.05 बजे बड़ी रहजनिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया।

गिफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

(1) श्याम कुमार राजभर पुत्र स्व. केदार राजभर निवासी नियामुपुर चकजीवन थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (उम्र 38 वर्ष)

(2) रवि शंकर पुत्र स्व. किशोरीलाल निवासी सलाहाबाद थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (उम्र 30 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 273/2025 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 थाना कोतवाली नगर जनपद म

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्तगण की निशानदेही पर धर्मान्तरण के लिये प्रयोग में लाये ने वाले पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र पुस्तकें (20 अदद), सबसे महाउपहार पुस्तकें (45 अदद), धार्मिक गीत व भजन की डायरी-कापी, प्रार्थना के वाद्य यंत्र (झाझ, डोल, खजड़ी आदि), पंखे व अन्य धार्मिक सामग्री बरामद की गयी।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे भोले-भाले ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों को बहला-फुसलाकर, लालच एवं प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करते हैं।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में अवैध धर्मान्तरण की किसी भी गतिविधि को बर्दाशत नहीं किया जाएगा। ऐसे कृत्य में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।